न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

अपील/36/2024 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. शिवसिंह पुत्र रतनसिंह
2. सुभाष चंद पुत्र रतनसिंह
3. शक्तिसिंह पुत्र रतनसिंह

जाति जाटव निवासी भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टान

बनाम

1. कमला पुत्री खैमचन्द
2. भूरीसिंह पुत्र खैमचन्द
3. रामस्वरूप पुत्र रामहेत

जाति जाटव निवासी भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार वैर नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 04.11.2024 बाके ग्राम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर

उपस्थित :–
1–श्री विजयसिंह अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री भूपत कुमार जैन, रैस्पो0
3–राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 19.03.2026

अपीलान्टान द्वारा यह अपील विरुद्ध रैस्पोन्डेन्टस व खिलाफ आदेश नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 04.11.2024 के पेश की गई है। नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 04.11.2024 मान0 न्यायालय भूप्रबंन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 31.03.1993 की पालना में स्वीकृत किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसील वैर से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 04.11.2024 प्रति शामिल पत्रावली की गई।

दौराने प्रकरण रैस्पो0 योग्य अभिभाषक श्री भूपत कुमार जैन की ओर से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय भूप्रबंन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 31.3.1993 की पालना में नामान्तकरण संख्या 382 दिनांक 04.11.2024 तहसीलदार वैर द्वारा स्वीकार किया गया है। इजराय की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील मैन्टेबल नहीं है। निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.1993 के विरूद्ध नियमित अपील अपीलान्टान द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में ही दायर की जा सकती है। अपील मैन्टेबल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

वकील अपीलान्टान द्वारा जबाब प्रारम्भिक आपत्ति में कथन किया है जो **सक्षेप में इस** प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के द्वारा **दावा डिक्री** किया जाकर वादग्रस्त भूमि का दावा अपीलांट के हक में डिक्री करते हुये **विवादग्रस्त** भूमि का खातेदार घोषित किया गया था। विवादित खसरा नम्बर 52 रकबा **9 बीघा 4 बिस्वा** का निस्फ हिस्सा जो असल रेस्पो0 के नाम था वह हिस्सा विवादित **था** शेष निस्फ हिस्सा जो अपीलांट व तरतीवी रेस्पो0 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा किसी भी प्रकार से विवादित नही था तथा तरतीवी रेस्पो0 द्वारा निहित अपने निर्विवाद 1/2 हिस्से के 2/3 हिस्से को अपीलांट के नाम विक्रय कर दिया था। इस प्रकार जब अपीलांट के नाम दर्ज हिस्सा विवादित ही नही था तो इसे नामान्तकरण संख्या 382 के द्वारा गलत रूप से दर्ज किया गया है जो अपीलांट के नाम दर्ज हिस्से तक नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है इसलिए उक्त अपील न्यायालय श्रीमान में की जा सकती है। अन्त में अवैध नामान्तकरण को निरस्त करते हुये अपीलांट के नाम दर्ज हिस्सो को बदस्तूर रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति रेस्पोडेन्ट निरस्त फरमाया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी गई। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 04.11.2024 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण न्यायालय भूप्रबंन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 31.3.1993 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्टान का यह कहना कि विवादित खसरा नम्बर 52 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा का निस्फ हिस्सा जो असल रेस्पो0 के नाम होने तथा वही हिस्सा विवादित होने शेष निस्फ हिस्सा जो अपीलांट व तरतीवी रेस्पो0 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा किसी भी प्रकार से विवादित नही था तथा तरतीवी रेस्पो0 द्वारा निहित अपने निर्विवाद 1/2 हिस्से के 2/3 हिस्से को अपीलांट के नाम विक्रय कर दिया था। इस प्रकार जब अपीलांट के नाम दर्ज हिस्सा विवादित ही नही था तो इसे नामान्तकरण संख्या 382 के द्वारा गलत रूप से दर्ज किया गया है। इस कथन के सम्बन्ध में अपीलान्टान की ओर से साक्ष्य दस्तावेजी पेश किये गये है।

चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 04.11.2024 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तकरण न्यायालय भूप्रबंन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 31.3.1993 की पालना में स्वीकर किया गया है। तहसीलदार वैर ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.3.2026 को सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर